प्रश्न, स्वतन्त्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। स्वतन्त्रता के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करो।

अरुण कुमार ,विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान, सरिया कॉलेज

स्वतंत्रता-राजनीति शास्त्र में सबसे लोकप्रिय अवधारणाओं में से एक स्वतंत्रता या स्वाधीनता को अवधारणा है। इस आदर्श के लिए हजारों लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दो है जिनके लिये स्वाधीनता एक ऐसी भावुकता पूर्ण अनुभूति है जिसे किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहिये चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग कई बार राष्ट्रीय स्वतंत्रता के सदर्भ में भी हुआ है। इस दृष्टि से किसी देश के विदेशी शासन से मुक्त होने को स्वतंत्रता कहा जाता है। जैसे कि भारत 15 अगस्त, 1947 को विदेशी शासन से स्वतन्त्रत (मुक्त) हुआ। इस भाग में हम राष्ट्रीय 'स्वतंत्रता' नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के विषय में चर्चा कर रहे हैं।

एतिहासिक दृष्टि से स्वतंत्रता एक आधुनिक सकल्पना है। ग्रीक नगर राज्यों में स्वतंत्रता केवल नागरिकों को ही सुलभ थी गुलामों की स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं होता था। ऐथेन्स के स्वतंत्रता के आदर्श भी गुलामा के प्रति किसी हमदर्दी या रियायत की इजाजत नहीं देते थे। मध्य युग में तो स्वतंत्रता एक विशेषाधिकार समझा जाता था। इसका अभिप्राय था किसी कर, शुल्क से छूट अथवा सामन्त के अधिकार क्षेत्र से मुक्ति।

आधुनिक युग के आरम्भ में ही मध्यम वर्ग या पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ और इन्होंने सामन्ती व्यवस्था से स्वतंत्रता का नारा बुलन्द किया। जॉन लॉक ने घोषणा की कि हर व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सम्पत्ति का अधिकार तो प्रकृति ने दिया है। अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा-पत्र (1776) में भी कहा गया कि जीवन स्वतंत्रता और खुशी की खोज मनुष्य के ईश्वर प्रदत्त अधिकार हैं और इन्हें उससे छीना नहीं जा सकता। मनुष्यों और नागरिकों के अधिकारों का फ्रांसीसी घोषणा-पत्र (1789) भी कहता है- "हर एक मनुष्य एक समान स्वतंत्रता और अधिकार लेकर पैदा हुआ है और ऐसे ही उन्हें रहना चाहिए। हर राजनीतिक संस्था का उद्देश्य मनुष्य के प्राकृतिक और जब्त ना हो सकने वाले ये अधिकार स्वतंत्रता सम्पत्ति, सुरक्षा और दमन का विरोध करने के अधिकार हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है-वह सब कुछ करने की शक्ति जिससे किसी और को हानि न हो। अतः व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों के प्रयोग की एकमात्र

सीमा यही है कि इससे समाज के किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों पर आंच न आए। इन सीमाओं का निर्धारण केवल कानून द्वारा संभव है...।"

1. स्वतंत्रता का अर्थ(meaning of liberty)

आम तौर पर लोग स्वतंत्रता को सहज सुलभ मान लेते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि सर्वमान्य और सटीक शब्दों में स्वतंत्रता की परिभाषा बहुत कठिन है। इसे विशेष राजनीतिक उद्देश्यों और विचारधारा के अनुसर समझाने का प्रयास किया जाता है।

स्वतंत्रता सामाजिक सम्बन्ध या सामाजिक स्वतंत्रता है। जिगमॅट बामन कहते हैं, "एक व्यक्ति के स्वतन्त्र होने का अर्थ है कि कम से कम दो व्यक्ति तो समाज में अवश्य हैं।" स्वतंत्रता को सामाजिक सम्बन्ध मानने का अर्थ होगा कि समाज में अन्तर भीहै और विभाजन भी। हाब्स का कहना था कि स्वतंत्रता कानून को चप्पी पर निर्भर करती है तो लॉक का विचार था कि जहा कोई कानून नहीं है वहा स्वतंत्रता भी नहीं है। सामाजिक सवध के रूप में स्वतंत्रता की परिभाषा इन परिभाषाओं से कहीं भी टकराती नहीं। यदि मैं किसी विशेष प्रकार से काम करने को स्वतन्त्र ह अर्थात इस काम के विरुद्ध काई कानून नहीं है तो इसका अर्थ होगा कि और लोग मेरे इस काम में बाधा डालने को स्वतन्त्र नहीं है। सक्षेप में कहा जा सकता है सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ है-एक व्यक्ति को अन्य लोगों के विरुद्ध स्वतंत्रतां जिन्हें इस व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकारों के प्रयोग में बाधक होने की कोई स्वतंत्रता नहीं है।

ह्यूम के अनुसार स्वतंत्रता अपनी इच्छा के आधार पर कार्य करने अथवा न करने को स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को बहुत से विकल्प उपलब्ध हैं और वह उनमें से अपनी इच्छा से चयन कर सकता है।

स्वतंत्रता की स्वतन्त्र कार्य के रूप में व्याख्या की गई। इसका अर्थ है कि बिना भय आदि के काम कर सकना ही सवतंत्रता है। इसका यह भी अर्थ है कि बिना किसी अन्य के प्रभाव के व्यक्ति अपने कर्म का निर्धारण स्वयं करता है। जे. एस. मिल्स का कथन है, वहां स्वतंत्रता वास्तविक है जिसमें हम अपने तरीके से अपनी भलाई का प्रयास कर सकें।"

स्वतंत्रता का अर्थ मुक्ति की भावना भी है। इसका अर्थ है अपनी इच्छानुसार कार्य करना। यदि कोई आदमी अपनी इच्छानुसार व्यवहार कर पाता है तो वह स्वतन्त्र है। यहां स्वतत्रता मनःस्थिति से जुड़ी हुई

है। इसे परिस्थितियों से भी जोड़ा जा सकता है। 'जब में विभिन्न विकल्पों में से चुनाव करने को आजाद हूँ तो मुझे छूट की अनुभूति होती है।'

स्वतंत्रता की उपर्युक्त व्याख्याएँ इसके अभिप्राय का विवरण देती है। स्वतंत्रता के मूल्यात्मक अर्थ भी होते हैं। इस दृष्टि से स्वतंत्रता एक मूल्य होगा जिसका आकलन किया जा सकता है।

इस प्रकार स्वतंत्रता पर मौलिक अधिकार की रक्षा का रूप भी धारणा कर लेती है। प्रारम्भिक उदारवादी इसी स्वरूप में स्वतंत्रता की बात करते थे। उनका विचार था कि एक स्वतंत्र समाज तो सभी की पूर्ण स्वतंत्रता अथवा अहस्तक्षेपवाद पर आधारित होता है। सभी व्यक्तियों के कुछ अधिकार तथा स्वतंत्रताए होती हैं तथा वे उन अधिकारों को भोगने को स्वतंत्र होते हैं। सरकार किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर तभी रोक लगाती है जब अन्य लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक हो जाए, अन्यथा नहीं। सिडनी तथा ब्रिएट्रिस वेब का कहना है, "वैयक्तिक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की पर्याप्त मात्रा में रोटी, कपड़ा और मकान हासिल कर सकने की क्षमता।" इस दृष्टिकोण में सामूहिक हितों के संवर्धन के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश का विचार भी निहित है। यह शिक्षा. चिकित्सा एवं सामान्य जन कल्याण के कार्यों पर सरकारी नियंत्रण की बात स्वीकार करता है। इस स्वतंत्रता में अवांछित अस्वतंत्रता शामिल है तथा इसमें से अवांछित सामाजिक स्वातंत्र्य का कोइँ स्थान नहीं है।

स्वतंत्रता को सहमति से शासन का नाम भी दिया जाता है। इस आकर्षक विचार का अर्थ है कि सरकार जनता की प्रतिनिधि सरकार हो तथा जनता पर उसकी सहमति से हो शासन हो। रूसो इस विचार को एक और ही पराकाष्ठा तक ले गए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने को बाध्य भी किया जा सकता है। व्यक्ति बहुमत की इच्छा या समाज की आम सहमति पर आधारित कानूनों का अनुपालन करते हुए स्वतंत्र रहता है। रूसो का दृष्टिकोण व्यक्ति में केवल अधिकारियों की इच्छानुसार आचरण व्यवहार की अपेक्षा करता है, उसे स्वयं कुछ भी चयन करने की इजाजत नहीं देता।

स्वतंत्रता के कुछ प्रमुख परिभाषाए

जो इस प्रकार है-

-हॉब्स के अनुसार "स्वतंत्रता बधनों के अभाव में ही निहित है।"

शीले के अनुसार "स्वतंत्रता अतिशासन की विपरीतार्थक होती है।"

ग्रीन के अनुसार कुछ करने या भोगने योग्य को करने या भोगने को सकारात्मक शक्ति अथवा क्षमता ही स्वतंत्रता है।"

- लास्की इस संदर्भ में कहा है कि "आधुनिक सभ्यता में व्यक्ति की खुशियों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सामाजिक परिस्थितियों पर रुकावटें नहीं होना ही स्वतंत्रता है।" स्वतंत्रता का अर्थ है. "राज्य प्रत्येक नैतिक आचरण करने वाले व्यक्ति को स्वतंत्र अथवा अपने ढंग से अपनी क्षमताओं का विकास करने योग्य माने। इस प्रकार वे व्यक्ति उत्प्स विकास की भूमिका से जुड़े अधिकार भोगने या प्रयोग करने के योग्य भी होंगे।" - बार्कर स्वतंत्रता की उपयुक्त व्याख्याओं से दो बातें उभर कर सामने आती हैं-एक दृष्टि से स्वतंत्रता का नकारात्मक स्वरूप उजागर होता है अर्थात् बंधनों के न होने को ही स्वतंत्रता माना गया है। दूसरा दृष्टिकोण सभी स्वतंत्र होने पर बल देता है। स्वतंत्रता को मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक माना गया है। हम स्वतंत्रता के प्रति दोनों सकारात्मक एवं नकारात्मक दृष्टिकोण पर विचार से चर्चा करेंगे। पर पहले स्वतंत्रता के स्वरूपों अथवा प्रकारों पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा।

स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार

राजनीति शास्त्र में 'स्वतन्त्रता' शब्द का प्रयोग किसी एक विशेष रूप में नहीं बल्कि अनेक रूपों में किया जाता है।

मुख्यतः स्वतन्त्रता के निम्नलिखित अनेक रूप माने जाते हैं-

1. प्राकृतिक स्वतन्त्रता-

प्राकृतिक स्वतन्त्रता का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार के बन्धनों का अभाव है। साधारण शब्दों में, प्राकृतिक स्वतन्त्रता का यह अर्थ लिया जाता है कि व्यक्ति को स्वेच्छा से बिना किसी बन्धन के प्रत्येक प्रकार का कार्य करने की छूट है। इस प्रकार की स्वतन्त्रता का प्रचार मुख्यतः समझौतावादियों ने किया है। उनके विचारानुसार राज्य के अस्तित्व से आने से पहले व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहते थे और उन्हें बन्धनरहित पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार के कानून नहीं थे और इस कारण व्यक्ति प्रत्येक प्रकार के बन्धनों से मुक्त था। समझौतावादियों के विचारानुसार राज्य बनने के कारण प्राकृतिक अवस्था का अन्त हो गया और इस प्रकार मनुष्यों की असीमित स्वतन्त्रता अर्थात् प्राकृतिक स्वतन्त्रता समाप्त हो गई। इसी कारण प्रसिद्ध समझौतावादी विचारक रूसो ने कहा था कि "मनुष्य स्वतन्त्र पैदा हुआ है, परन्तु प्रत्येक स्थान पर वह बन्धनों में जकड़ा हुआ है।"

अतः प्राकृतिक स्वतन्त्रता का अर्थ उस स्वतन्त्रता से है जो मनुष्य को राज्य के अस्तित्व में आने से पहले प्राकृतिक अवस्था (State of Nature) में प्राप्त थी और जिस पर किसी प्रकार के सामाजिक या वैधानिक बन्धन नहीं थे।

स्वतन्त्रता के इस रूप को अनेक विचारक स्वीकार नहीं करते। उनके विचारानुसार यह स्वतन्त्रता नहीं, अपितु अनुचित छूट ऐसी अवस्था में 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' के सिद्धान्त का प्रभुत्व होगा। गैटेल ने सत्य ही कहा है. "प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रकृक्तिक अधिकार नहीं, अपितु प्राकृतिक शक्ति होगी।"

इस प्रकार की स्वतन्त्रता का वास्तविक अभिप्राय यह है कि कोई स्वतन्त्रता नहीं है, क्योंकि ऐसो स्वतन्त्रता जगल को स्वतन्त्रता है जो स्वतन्त्रता के वास्तविक अर्थों से कोसों दूर है। वास्तविक स्वतन्त्रता केवल संगठित राजनीतिक समाज में ही हो सकती है, क्योंकि इस तरह राज्यों के नियमों के अधीन स्वतन्त्रता केवल शक्तिशाली या बलवान् व्यक्तियों को ही नहीं अपितु समस्त जनता को प्राप्त होगी।

2. नागरिक स्वतन्त्रता-

समाज का सदस्य होने के नाते व्यक्ति को जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं. उन्हें ही नागरिक या सामाजिका स्वतन्त्रता का नाम दिया जाता है। साधारण शब्दों म. नागरिक स्वतन्त्रता वह स्वतन्त्रता है जो व्यक्ति को एक सगठित समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त होती है। इस प्रकार नागरिक स्वतन्त्रता को समाज में प्राप्त होने वाली स्वतन्त्रता कह सकते हैं। इस रूप में नागरिक स्वतन्त्रता प्राकृतिक स्वतन्त्रता के बिल्कुल विपरीत है. क्योंकि प्राकृतिक स्वतन्त्रता व्यक्ति को समाज के अस्तित्व में आने से पहले प्राप्त हुई मानी जाती है और नागरिक स्वतन्त्रता केवल सगठित समाज में ही सम्भव हो सकती है। इस प्रकार की स्वतन्त्रता का सम्बन्ध व्यक्ति के उन अधिकारों से है जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं। जीवन का अधिकार, विचार व्यक्त करने और भाषण देने की स्वतन्त्रता का अधिकार, सम्पत्ति खरीदने रखने और बेचने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, सघ ओर सस्थाए बनाने का अधिकार, स्वेच्छा से कोई व्यापार, कार्य या नौकरी करने का अधिकार, कानून के सामने समानता इत्यादि का अधिकार नागरिक स्वतन्त्रता के मुख्य आधार हैं। वर्तमान समय में ऐसे अधिकार राज्य के संविधान द्वारा लोगों को दिए जाते हैं और संविधान द्वारा ही उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षित किया जाता है। यदि इन अधिकारों को सरकार की स्वेच्छाचारी शक्ति से सुरक्षित न किया जाए तो नागरिक स्वतन्त्रता का कोई महत्त्व नहीं रहता।

3. राजनीतिक स्वतन्त्रता

साधारण शब्दों में, राजनीतिक स्वतन्त्रता से अभिप्राय ऐसी स्वतन्त्रता से है जिसके द्वारा लोगों को अपनी सरकार का निर्वाचन करने से, सरकार की नीतियों की आलोचना करने, सरकार के कार्यों में भाग लेने और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसी स्वतन्त्रता कुछ राजनीतिक अधिकारों पर आधारित होती है। उदाहरणस्वरूप मताधिकार चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार, भाषण देने और विचार व्यक्त करने का अधिकार इत्यादि राजनीतिक स्वतन्त्रता के मुख्य आधार हैं। जिन देशों में नागरिक को ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं हैं, उन देशों में राजनीतिक स्वतन्त्रता का अस्तित्व सम्भव नहीं हो सकता। यह बात वर्णनीय है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता वर्तमान लोकतन्त्रीय युग की देन है। निरंकुश राजतन्त्र या अधिनायकतन्त्र में स्वतन्त्रता का अस्तित्व नाममात्र का भी नहीं होता, क्योंकि मत प्रयोग करने, चुनाव लड़ने आदि के अधिकारों के होने का ऐसे देशों में प्रश्न ही पैदा नहीं होता। राजनीतिक स्वतन्त्रता केवल लोकतन्त्रीय राज्यों में ही सम्भव हो सकती है।

4 आर्थिक स्वतन्त्रता-

आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना नागरिक स्वतन्त्रता या राजनीतिक स्वतन्त्रता का होना सर्वथा निर्मूल है। आर्थिक स्वतन्त्रता का अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति को स्वतन्त्र व्यापार की आज्ञा हो या व्यापारिक क्षेत्र में सरकार का कोई नियन्त्रण न हो। यदि आर्थिक स्वतन्त्रता का ही अर्थ लिया जाय तो धन और उत्पादन के साधन कुछ एक व्यक्तियों के हाथों में एकत्रित हो जाएगे और साधारण व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इस प्रकार मन्दी हो जाएगी कि उन्हें पूजीपतियों को दया-दृष्टि पर निर्भर रहने के लिए विवश होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में राजनीतिक शक्ति का इन पूंजीपतियों के हाथ में होना और साधारण जनता के राजनीतिक अधिकारों का महत्त्वहीन और अर्थहीन सिद्ध होना बिल्कुल स्वाभाविक है।

वास्तव में आर्थिक स्वतन्त्रता से अभिप्राय यह है कि व्यक्ति प्रत्येक प्रकार की आर्थिक चिताओं से मुक्त हो और वह आर्थिक दृष्टि से किसी के अधीन न हो। प्रो. लास्की के अनुसार, "आर्थिक स्वतन्त्रता का अभिप्राय मनुष्य की अपनी जीविका कमाने के लिए उचित सुरक्षा और सुविधाओं का प्राप्त होना है।" इसका अभिप्राय यह है कि सरकार को ऐसा सम्पन्न वातावरण पैदा करना चाहिए जिसमें व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने और उचित ढंग से अपना निर्वाह करने के लिए प्रत्येक प्रकार की आर्थिक सुविधाएं प्राप्त हों। इस उद्देश्य के लिए व्यक्ति को बिना किसी भेद-भाव के कार्य करने का अधिकार, उचित वेतन प्राप्त करने का अधिकार, विश्राम का अधिकार, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार इत्यादि प्राप्त होने चाहिए।

5. राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-

राष्ट्रीय स्वतन्त्रता से अभिप्राय विदेशी नियन्त्रण से मुक्ति है। यदि कोई राष्ट्र किसी विदेशी सत्ता का गुलाम है तो उस राष्ट्र के व्यक्तियों के लिए सामाजिक. आर्थिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में उचित विकास करना सम्भव नहीं है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के लिए लोग बड़े से बड़ा बलिदान भी हसकर देने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे अपने देश में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए हजारों व्यक्तियों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। इसके पश्चात् 1962-1965 और 1971 में जब विदेशी आक्रमणों के कारण हमारी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को कुछ भय उत्पन्न हुआ तो लोगों ने प्रत्येक प्रकार का बलिदान देना अपना धर्म समझा। प्रत्येक राष्ट्र को विदेशी नियन्त्रण से मुक्ति के अतिरिक्त अपना संविधान बनाने, स्वशासन करने, हर प्रकार की आन्तरिक और बाह्य नीति का निर्माण करने, अपनी इच्छानुसार दूसरों से सम्बन्ध स्थापित करने आदि की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इसी स्वतन्त्रता को हम राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को सज्ञा देते हैं।

निष्कर्ष-

स्वतन्त्रता के विभिन्न रूपों का अध्ययन करने के पश्चात् हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि व्यक्ति के विकास के लिए प्रत्येक प्रकार की स्वतन्त्रता का होना तो सम्भव नहीं है, परन्तु नागरिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक स्वतन्त्रता को होना अत्यन्त आवश्यक है। कोई विदेशी शासक अपने अधीन शासितों को ऐसी स्वतन्त्रता प्रदान नहीं करता. क्योंकि ऐसा करने से उसका अपना अस्तित्व रखतरे में पड़ सकता है। ऐसी स्वतन्त्रताए वास्तविक रूप में केवल स्वतन्त्रता राष्ट्र में ही सम्भव हो सकती हैं। इसलिए इन सभी स्वतन्त्रताओं से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता अधिक महत्त्वपूर्ण है।

****